झारखण्ड विधान–सभा

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2010

[सभा द्वारा यथापारित]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2010

(सभा द्वारा यथापारित)

प्रस्तावना ।

धाराएं ।

विषय-सूची

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं ।
3. झारखण्ड अधिनियम, 16, 2008 की धारा-3, 4, 5, एवं 9 का प्रतिस्थापन एवं धारा-13 का समावेश ।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2010
(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम-16, 2008) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-**
   (i) यह विधेयक झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा ।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
   (iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएँ :-** जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस विधेयक में -
   (क) "कलेण्डर वर्ष" से अभिप्रेत है पहली जनवरी से इकतीस दिसम्बर तक की अवधि ।
   (ख) "अधिनियम" से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2010 ।

3. **झारखण्ड अधिनियम 16, 2008 की धारा-3 का प्रतिस्थापन :-** अधिनियम की धारा-3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी यथा :-

<u>आयोग का गठन</u>

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग का गठन निम्नलिखित को मिलाकर किया जायेगा :-

(क) अध्यक्ष - राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अखिल भारतीय सेवा/सेना के सुपर टाईम स्केल से अन्यून पंक्ति के कार्यरत् अथवा सेवानिवृत्त एक पदाधिकारी ।

(ख) सदस्य - राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रुपये 37400-67000/- ग्रेड पे-8700 (अथवा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित समरूप वेतनमान) से अन्यून वेतनमान् के कार्यरत् अथवा सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा/सेना के दो पदाधिकारी ।

4. **झारखण्ड अधिनियम 16, 2008 की धारा-4(i) का प्रतिस्थापन :-** अधिनियम की धारा-4(i) के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी यथा :-

<u>आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल -</u>

   (i) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पदग्रहण की तारीख से सामान्यतः पाँच वर्ष की अवधि तक ।

5. **झारखण्ड अधिनियम 16, 2008 की धारा-5 का प्रतिस्थापन :-** अधिनियम की धारा-5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी यथा :-

<u>सेवा/संवर्ग/पद, जिनकी नियुक्ति हेतु आयोग अनुशंसा करेगी –</u>

आयोग राज्य सरकार के अधीन वर्ग-'ग' के सभी पदों एवं वर्ग-'ख' के अराजपत्रित सभी सामान्य/प्रावैधिक/अप्रावैधिक सेवाओं/संवर्गों के पदों जिनपर आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सीधी नियुक्ति का प्रावधान हो अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर सकेगा ।

6. **झारखण्ड अधिनियम 16, 2008 की धारा-9 का प्रतिस्थापन :-** अधिनियम की धारा-9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी यथा :-

<u>शक्तियों का प्रत्यायोजन –</u>

(i) प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के मामले में आयोग के अध्यक्ष राज्य सरकार में सचिव की शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।

7. इसके अतिरिक्त झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम-16, 2008) में एक अतिरिक्त धारा-13 का समावेश किया जायेगा ।

धारा-13 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति :-

यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में तथा इसके उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसा आदेश निर्गत कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं होगा तथा जो उत्पन्न होने वाली ऐसी कठिनाइयों के निवारणार्थ आवश्यक हो । इस राज्यादेश को राज्य सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित कराया जायेगा ।

यह विधेयक झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2010 दिनांक 04 जनवरी, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 04 जनवरी, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।